राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1304/2021

कैलाश चन्द्र जैन **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव (राजस्व), सचिवालय, जयपुर।
2. श्री अंकित कुमार सिंह, जिला कलेक्टर, बांसवाडा, कलेक्ट्रेट बिल्डिंग, बांसवाडा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.02.2021
आदेश की दिनांक : 31.07.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : स्वयं
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी की रोकी गई वार्षिक वेतन वृद्धियां प्रदान करने एवं भू–अभिलेख के पद पर पदस्थापित समस्त परिलाभ प्रदान किए जावें तथा वार्षिक वेतन वृद्धियों की राशि पर 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिए जाने के आदेश फरमाए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैः–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 14.08.1997 को पटवारी के पद पर हुई थी और उसे बस्सीआडा, बांसवाडा पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा आपराधिक मामला दर्ज होने के कारण उसे दिनांक 14.05.2018 को निलम्बित किया गया और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 15241/2019 में पारित आदेश के क्रम में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 19.03.2020 के द्वारा निलम्बन से बहाल कर दिया गया और उसे पदस्थापित कर दिया गया तथा आदेश दिनांक 01.06.2019 के द्वारा अपीलार्थी को पटवारी से भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया। राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 29 के तहत निलंबन काल के वर्षों के लिए वेतन वृद्धि एवं पदोन्नति उपरांत अपीलार्थी द्वारा दिनांक 07.07.2020 को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। परंतु

उसका कोई निराकरण नहीं किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी की रोकी गई वार्षिक वेतन वृद्धियां प्रदान करने एवं भू–अभिलेख के पद पर पदस्थापित समस्त परिलाभ प्रदान किए जावें तथा वार्षिक वेतन वृद्धियों की राशि पर 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिए जाने के आदेश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी ने वर्ष 2018, 2019 एवं 2020 के निलंबन काल की वेतन वृद्धि के लिए जिला कलक्टर, बांसवाडा में आवेदन प्रस्तुत किया, अपीलार्थी के विरूद्ध एसीबी, डूंगरपुर में एफआईआर संख्या 125/2018 दर्ज हुई, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आगामी कार्यवाही पर स्थगन है। आदेश दिनांक 26.03.2021 के द्वारा राजस्व मण्डल, अजमेर को अपीलार्थी के प्रकरण में वर्तमान स्थिति की आगामी सुनवाई दिनांक 05.07.2021 की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी ने कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.06.2018 के अनुसार दिनांक 05.03.2021 को भू–अभिलेख निरीक्षक पद पर पदस्थापन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसका निर्णय अभी लंबित है और इस प्रकार अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील के जवाब का उल जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि अपीलार्थी के विरूद्ध नियुक्ति अधिकारी के द्वारा दिनांक 18.07.2020 को अभियोजन स्वीकृति जारी की गई और एसीबी द्वारा दिनांक 31.10.2019 को भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय, उदयपुर में चालान प्रस्तुत किया गया और उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 19.02.2020 के द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा न तो वेतन वृद्धियां जारी की गई और न ही परिलाभ। नियमों में निलंबन की कोई सजा नहीं है और न ही बहाल आदेश में अपीलार्थी को सजा/दण्डित किया गया। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति पटवारी के पद पर हुई थी। अपीलार्थी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा आपराधिक मामला दर्ज होने के कारण उसे दिनांक 14.05.2018 को निलम्बित किया गया और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 15241/2019 में पारित आदेश के क्रम में अपीलार्थी को आदेश

दिनांक 19.03.2020 के द्वारा निलम्बन से बहाल कर दिया गया। जहां तक निलम्बन काल के दौरान अपीलार्थी को वार्षिक वेतन एवं द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिए जाने का प्रश्न है, हमारे मत में अपीलार्थी की बहाली माननीय विशिष्ट न्यायाधीश सेंशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण उदयपुर के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहते हुए की गई है। राजस्थान सेवा नियम के नियम– 54(2) के अनुसार यदि *कार्मिक को पूर्णतया दोषमुक्त कर दिया गया हो अथवा उसका निलम्बन पूर्णतः अनुचित था, तो कर्मचारी उस अवधि का वेतन एवं महंगाई भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी है,* परन्तु वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी को पूर्णतया दोषमुक्त नहीं किया गया है। इस प्रकार हमारे विनम्र मत में निलम्बन काल के दौरान वेतनवृद्धि एवं चयनित वेतनमान का लाभ दिया जाना उचित प्रकट नहीं होता है। अतः अपीलार्थी की अपील बलहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना–पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य